<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 394/2022 दायर दिनाँक 27.09.2022

वादी

1. रूपाराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी गांवडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. भंवरू पुत्र मूला
2. रामदेव पुत्र मूला
3. इन्द्रा पुत्र मूला
4. रामेश्वर पुत्र मूला
5. नाथुराम पुत्र तेजाराम
6. सोहनराम पुत्र तेजाराम
7. जीतुराम पुत्र तेजाराम
8. जगदीश प्रसाद पुत्र तेजाराम
9. तगनी बेवा सुगनाराम
10. महेन्द्र सिंह पुत्र सुगनाराम
11. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुगनाराम
12. सुगनी बेवा कानाराम
13. बजरंग सिंह पुत्र कानाराम
14. जगदीश सिंह पुत्र कानाराम
15. रमेश सिंह पुत्र कानाराम
16. भंगवानराम पुत्र हजारी
17. भंवरसिंह पुत्र सवाईराम
18. मगना पुत्र सवाईराम समस्त जाति दरोगा निवासीगण आगुन्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
19. बिरडी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी पावडियां की ढाणी तहसील डीडवाना
20. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 188

उपस्थित:–

1. श्री प्रकाश डुकिया वकील वादी।

–:: <u>अन्तिम निर्णय</u> ::–

[illegible] 30 [illegible] 2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत [illegible] सं0 07 रकबा 24 बीघा, खसरा सं0 25 रकबा 12 बीघा, खसरा सं0 [illegible] रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद आगुन्ता की भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 18.05.2011 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना के द्वारा दिनांक 30.06.2011 को विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.06.2011 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 07 रकबा 24 बीघा, खसरा सं0 25 रकबा 12 बीघा, खसरा सं0 28 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद आगुन्ता की भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 30.06.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 30.06.2011 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:12 IST
Reason: Self Attested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 394/2022 दायर दिनाँक 27.09.2022

वादी

1. रूपाराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी गांवडियों की ढाणी तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. भंवरू पुत्र मूला
2. रामदेव पुत्र मूला
3. इन्द्रा पुत्र मूला
4. रामेश्वर पुत्र मूला
5. नाथुराम पुत्र तेजाराम
6. सोहनराम पुत्र तेजाराम
7. जीतुराम पुत्र तेजाराम
8. जगदीश प्रसाद पुत्र तेजाराम
9. तगनी बेवा सुगनाराम
10. महेन्द्र सिंह पुत्र सुगनाराम
11. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुगनाराम
12. सुगनी बेवा कानाराम
13. बजरंग सिंह पुत्र कानाराम
14. जगदीश सिंह पुत्र कानाराम
15. रमेश सिंह पुत्र कानाराम
16. भंगवानराम पुत्र हजारी
17. भंवरसिंह पुत्र सवाईराम
18. मगना पुत्र सवाईराम समस्त जाति दरोगा निवासीगण आगुन्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
19. बिरडी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी पावडियां की ढाणी तहसील डीडवाना
20. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188

दिनाँक 30.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रकाश डुकिया वकील वादी की ओर से समद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 07 रकबा 24 बीघा, खसरा सं0 25 रकबा 12 बीघा, खसरा सं0 28 रकबा 06 बीघा [illegible] के सरहद आगुन्ता की भूमि में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान [illegible] तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.06.2011 में [illegible] भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 30.06.2011 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.......... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.09.2022** को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:40:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner